Date 02-03-2021

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

आज दिनांक 02.03.2021 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा धामपुर नहटौर बॉर्डर पर नवनिर्माण चौकी का निर्माण कार्य का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये ।

थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 87/21 धारा 376 आईपीसी में वाँछित अभियुक्त मोनिश पुत्र इब्राहिम निवासी मोहल्ला तराई कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकुर कुमार पुत्र राम कुमार निवासी मौ0 इस्लामनगर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 100/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना स्योहाराः- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त मोहम्मद शहजाद पुत्र इसरार निवासी मोहल्ला मिल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना कोतवाली देहातः- थाना कोतवाली देहात थाना हाजा के मु0अ0सं0 17/2021 धारा 452/323/324/504/506/307/34 **IPC** में वांछित अभियुक्त फईम पुत्र जमीर निवासी मोहल्ला कुरेशियान कस्बा व थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना धामपुरः- आज दिनांक 02.03.2021 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा मौ0 बन्दूकचियान कस्बा धामपुर में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त बिलाल पुत्र रहीश कुरैशी निवासी मौ0 शेखान कस्बा स्योहारा जनपद बिजनौर को अफसर कुरैशी के मकान से अवैध तरीके से पशु काटते हुये गिरफ्तार किया गया। मौके से कटी हुयी दशा में भैंस व पशुओ के अवशेष तथा पशु काटने के उपकरण बरामद हुये। इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 83/21 धारा 269/270/272/429 भादवि व 11(1)(**k**)(**l**) पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 बनाम बिलाल आदि कुल 05 अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। इनके अन्य साथी अफसर कुरैशी, मुन्ना कुरैशी, अमजद कुरैशी व अकरम कुरैशी पुत्रगण अजमल निवासीगण मौ0 बन्दूकचियान कस्बा व थाना धामपुर बिजनौर मौके से फरार हो गये। जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमे गठित कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

थाना नगीना देहातः- थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा 1- रियाजुद्दीन पुत्र अल्लाह 2- साजन पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम बिजौली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 3- अखिलेश पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम बिजौली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर का अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

जनपद बिजनौर दिनांक 02-03-2021

आज दिनांक **02.03.2021** को कोतवाली शहर की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये "मिशन शक्ति" के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र की महिलाओं व स्कूल/कॉलेज की छात्राओं/बालिकाओं को पंपलेट वितरित कर मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान कर जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया।

आज दिनांक **02.03.2021** को थाना धामपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये "मिशन शक्ति" के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र के **RSM degree college** में छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान कर जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया।